कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/पेंशन–अ/34926/13 दिनांकः 07.02.2020

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा ।

विषयः– अनुपयोगी/नाकारा सामग्री निस्तारण, बकाया पेंशन प्रकरण एवं स्कूटी के आवेदन पत्र प्राप्ति की प्रगति रिपोर्ट की बैठक दिनांक 14.02.2020 आयोजन के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बकाया पेंशन प्रकरण, स्कूटी के आवेदन पत्र प्राप्ति एवं अनुपयोगी/नाकारा समान का निस्तारण से खाली हुए कमरों की सूचना सम्बन्ध में दिनांक 14.02.2020 **को प्रातः 11.00 बजे मीटिंग हॉल, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर** में निम्न हस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है । मीटिंग में आते समय श्रीमान निदेशक महोदय के निर्देशन में आयोजित बैठक दिनांक 09.01.2020 को दिये गये निर्देशों व इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.11.2019 द्वारा पूर्व बैठक कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशो की पूर्ण पालना के साथ (संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लेखाकर्मी/प्रभारी अधिकारी) आवश्यक रूप से पूर्ण तैयारी के साथ दस्तावेजो सहित उपस्थित होवें ।

अनुपयोगी सामान के निस्तारण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 19.06.2019, 01.08.2019, 09.08.2019, 11.09.2019,10.10.2019 एवं 05.11.2019 द्वारा आपको विस्तृत निर्देश दिये जा चुके है लेकिन इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.11.2019 के द्वारा भेजी गई बैठक कार्यवाही विवरण के अनुसार अभी तक अधिकांश जिलो की प्रगति नगण्य है । अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.10.2019 द्वारा दिये गये निर्देशो को ध्यान में रखते हुए जिले के प्रत्येक लेखाकर्मी को 01 माह में 15 स्कूलो के अनुपयोगी सामान के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं । प्रगति रिपोर्ट पूर्व में भेजे गये व बैठक दिनांक 04.11.2019 में दिये गये प्रपत्र में आवश्यक रूप से लाई जावे । अनुपयोगी /नकारा सामान निस्तारण से खाली हुए कमरों की स्थिति भी न्यून रही जो कि इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 23.01.2020 द्वारा आपको अवगत कराया जा चुका है ।

अतः समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों की स्कूलो में बकाया अनुपयोगी सामान के निस्तारण की प्रभावी मोनिटरिंग सुनिश्चित कर जिले में किसी भी स्कूल में अनुपयोगी सामग्री न होने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे । किसी शाला प्रधान, अधिकारी व कर्मचारी द्वारा अनुपयोगी सामान के निस्तारण की कार्यवाही न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे । विद्यालयों में अनुपयोगी सामान के निस्तारण से खाली हुए कक्षाकक्ष की दिनांक 10.02.2020 तक की प्रगति सूचना निम्नांकित निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से तैयार कर मीटिंग में साथ लाई जावे :–

क्र. सं	ब्लॉक कार्यालय का नाम	दिनांक 01.04.2019 अनुपयोगी सामान पाये गये स्कूलों की संख्या (ब्लॉकवार विवरण)		वर्तमान समय तक अनुपयोगी सामान के निस्तारण का विवरण (ब्लॉकवार विवरण)		स्कूलों/कमरों की संख्या जिनमें अनुपयोगी सामान का निस्तारण किया जाना शेष है (ब्लॉकवार विवरण)		अनुपयोगी सामान के निस्तारण से आय	नकारा निस्तारण से खाली हुए कमरों का प्रतिशत
		विद्यालयों की संख्या	कमरों की संख्या	विद्यालयों की संख्या	कमरों की संख्या	विद्यालयों की संख्या	कमरों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

निःशुल्क स्कूटी के आवेदन पत्र प्राप्ति के सम्बन्ध में इस कार्यालय के द्वारा पत्र दिनांक 03.02.2020 द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रपत्र अ व ब सूचना आवश्यक रूप से साथ लाई जावे ।

बैठक में बकाया पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की जायेगी । अतः पूर्ण सूचना तैयार कर मीटिंग में अपने प्रतिनिधि के साथ भेजें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/पेंशन–अ/34926/13 दिनांकः 07.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, राउमावि एवं प्रधानाध्यापक, रामावि ।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु ।
3. भण्डारपाल,भण्डार अनुभाग को बैठक में 40 व्यक्तियों के जलपान/चाय की व्यवस्था हेतु ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर